न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/47/2023 रजू दिनांकः 23.02.2023 रजि0 न0 2023/407

अपीलार्थीः–
श्री दयानन्द शर्मा निवासी 5 क 28, शिवाजी पार्क अलवर, जिला अलवर (राज0)–301001

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 28.03.2023

1.अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2023 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2.अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3.अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.03.2023 को उपस्थित आवें।

4.अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/546 दिनांक 08.03.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय के नियंत्रणाधीन अनुभाग, प्रभारी अधिकारी, स्थापन प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक 1203 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से प्राप्त सूचनानुसार वांछित सूचना, स्टेनो संवर्ग के पदों के सृजन से संबंधित है, जो कि राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा ही संपादित की जाती है, तद्नुसार उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पत्र सं0 320–21 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित करते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उप निबन्धक (प्रशासन) राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर को भी प्रति अग्रेषित कर दी गई है। उक्त आलोक में वांछित सूचना हेतु अपीलार्थी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्तर पर संपर्क स्थापित करें। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5.उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6.निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7.पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)